

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crim-I

अज अदालत..... 31/10/25 अतिरिक्त मुकाम..... अतिरिक्त
..... 21/11/25 बनाम..... रामकिशन
किस्म मुकदमा..... L.R. Act - 136 नं. 126 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए
13/10/25	<p>राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना-पत्र पर बहस कर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 17/10/25 को पेश हो।</p>	
17/10/25	<p>पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम बडौदिया के खाता संख्या 258 के खातेदार रामकिशन के पिता लक्ष्मीनारायण के स्थान पर लक्ष्मण दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम बडौदिया के सम्वत् 2057-60 में खाता संख्या 355 में खातेदार का नाम लक्ष्मण पुत्र धन्ना दर्ज रिकॉर्ड हैं तथा अन्य खाता संख्या 199 में खातेदार का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्ना दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें।</p> <p>पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि ग्राम बडौदिया के सम्वत् 2057-60 में खाता संख्या 355 में खातेदार का नाम लक्ष्मण पुत्र धन्ना दर्ज रिकॉर्ड हैं तथा अन्य खाता संख्या 199 में खातेदार का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्ना दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम बडौदिया के खाता संख्या 258 में रामकिशन पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर रामकिशन पुत्र लक्ष्मण दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें।</p> <p>उक्त निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	



गजेन्द्र सिंह
उपसुपुड अधिकारी
काठा